

इस्लामाबाद □ पाकिस्तान की □ क आतंकवाद रोधी अदालत ने आज पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के 2007 के बेनजीर भुट्टो हत्या मामले में जमानत दे दी □

रावलपिंडी में आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश चौधरी हबीब..उर..रहमान ने मुशर्रफ के 10..10 लाख रुप □ के दो मुचलकों पर जमानत दी □

न्यायाधीश ने सुबह दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था □ अदालत ने दोपहर बाद अपना फैसला सुनाया □

सुनवाई के दौरान मुशर्रफ के वकील सलमान सफ्दर ने कहा कि उनके मुवक्कल के खिलाफ कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं है □

उन्होंने कहा कि 2007 के उस आत्मघाती हमले के पी □ ति लोगों के परिवारों में से किसी ने भी मुशर्रफ पर आरोप नहीं लगाया है जिसमें बेनजीर की मौत हो गयी थी □

संघीय जांच □ जेंसी : □ फ़ाई □ : के अभियोजक चौधरी अजहर ने मुशर्रफ की जमानत याचिका का विरोध करते हुए □ कहा कि अगर उन्हें जमानत मिली तो वह देश से भाग सकते हैं □

बेनजीर की दिसंबर 2007 में रावलपिंडी में □ क चुनावी रैली में आत्मघाती हमले में मौत हो गयी थी □ मुशर्रफ पर आरोप है कि उन्होंने बेनजीर को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं करायी □

(भाषा)